ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत साहनवीं में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री चरण दास	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राम पाल	01.04.2022 से 20.10.2022
2	श्री रमेश चंद	21.10.2022 से 13.03.2023
3	श्रीमति मनीषा देवी	14.03.2023 से 12.05.2023
4	श्री रमेश चंद	13.05.2023 से 19.07.2023
5	श्री संदीप कुमार	20.07.2023से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में अंतर पाया जाना।	0.87
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना।	11.10
3	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना।	0.35
4	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना लाखों के अनियमित भुगतान करना।	0.07
5	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना।	0.06
6	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक व गलत भुगतान करना।	0.01
7	9.2	उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर गलत भुगतान करना।	1.08
8	9.3	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	1.83
9	9.4	प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करना।	5.00
10	9.5	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना।	0.64

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.18 से 31.03.2019 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
2	4	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
3	5	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
4	6	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
5	7	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
6	8	अनिर्णीत।	
7	9	अनिर्णीत।	
8	10	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
9	11	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान

10	12	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
11	13	अनिर्णीत।	
12	14	अनिर्णीत।	
13	15	निर्णीत।	माह जनवरी, 2024 में जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में आयोजित विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान
14	16	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
15	17	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

अतः शेष अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु विशेष कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2024 से 24.08.2024 तक ग्राम पंचायत साहनवीं के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 291/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत साहनवीं द्वारा पंजाब नैशनल बैंक ताल हमीरपुर, DD NO – XAA 619484 दिनांक 22.08.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत साहनवीं, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनांक 17.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच (5) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), 14वें वित्तायोग (Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	1712362.09	1439704.00	3152066.09	1343506.14	1808559.95
2023-24	1808559.95	672057.00	2480616.95	974645.00	**1505971.95**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	2212005.65	1929513.00	4141518.65	2617151.68	1524366.97
2023-24	1524366.97	1479632.00	3003998.97	1893645.27	**1110353.70**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (4-5) (₹)**
1	2	3	4	5	7
2022-23	3924367.74	3369217.00	7293584.74	3960657.82	3332926.92
2023-24	3332926.92	2151689.00	5484615.92	2868290.27	**2616325.65**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**खाता संख्या**	**खाता नंबर**	**राशि (₹)**
1	स्वयं स्त्रोत व अनुदान	PNB TAAL	2056000100502944	1505253.14
2	14वां वित्तायोग	PNB TAAL	2056000100502953	106686.65
3	15वां वित्तायोग	PNB TAAL	2056000100555496	917646.05
		योग		**2529585.84**
हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत)				0.00
		योग (1+2)		**2529585.84**

(3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार :-

1)	स्वः स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	1505971.95
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	1110353.70
3)	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**2616325.65**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष	2529585.84
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)	0.00
	योग (4+5)	**2529585.84**
	अन्तर (3-6)	**86739.81**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹0.87 लाख का अंतर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोत व अनुदान(प्लानिंग) शीर्ष और 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि **₹86739.81**/- का अन्तर निम्न विवरणानुसार बैंक में कम पाया गया, जो पंचायत की सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाता है :-

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष का योग (₹)**	**अन्तर (4-3) (₹)**
1	Own Sources & GIA (Planning)	1505971.95	1505253.14	718.81
	15 FC	1003667.05	917646.05	86021.00
		कुल अंतर		**86739.81**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 281/2024 दिनांक 20/08/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि वारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि **₹86739.81/-** के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) खाता "क" तथा खाता "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की

अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण हेतु खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA (5) C (15)-(13) L 5-47005-81 दिनाँक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – "क" व खाता- "ख" का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 295/2024 दिनाँक 22.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा अंकेक्षण के अंत तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार रोकड़ बही व स्कीमवार बैंक खातों का रख-रखाव किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 01/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० प० रा०(वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹11.10 लाख का उपयोग न करना।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹1110353.70/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 01/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा

सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 01/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 01/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं इनकी वर्तमान स्थिति क्या है।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल

प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में सलंग्र **(परिशिष्ट "ख")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹** 35520/- वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	444	40	17760	17760	0	17760
2023-24	17760	444	40	17760	35520	0	**35520**

उक्त वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार प्रारूप 10 पर पंचायत के गृहकर मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए गृहकर मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था|

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए|

7.2 दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनाँक 17.08.2024 के अनुसार में सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना सलंग्र (**परिशिष्ट "ग"**) अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये के रूप में कोई राशि वसूली हेतू शेष नहीं थी।

Mr. Chattar singh							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2022-23	0	670 x 12	8040	8040	8040	0
2	2023-24	0	670 x 12	8040	8040	8040	0

Mr. Jamba							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2022-23	0	670 x 12	8040	8040	8040	0
2	2023-24	0	670 x 12	8040	8040	8040	0

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400 की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दोगुणी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **परिशिष्ट "घ"** अनुसार वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹400/- की वसूली नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण कि तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि	नही वसूली गई राशि (₹)
1	Subhasho devi w/o Dev Raj	04/05/1980	04/08/2022	203365	400	0	400
योग							**400**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 285/2024 दिनांक 22.08.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली हेतु रसीद संख्या **(203365)** दिनांक 22/08/2024 द्वारा सम्बन्धित से करके पंचायत लेखे में जमा करवा दिया गया है तथा राशि ₹400/- जिसे राजकीय कोष में दिनांक 29.08.2024 को जमा करवा दिया गया।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में सरकारी कोष में जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि के इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को भी शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹0.07 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-Genral/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुन: दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं (कॉन्ट्रैक्टर्स/वेंडर्स) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब से रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 09/22 व 03/24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि ₹6976.07/- का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 293/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि" उक्त पत्र में वर्णित राशि **₹6976.07**/- रॉयल्टी की कटौती बिलों से नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा तथा इसकी वसूली

सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं "| प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान नहीं किया जाना अपेक्षित था |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय समय पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति **सलंग्न (परिशिष्ट "च")** अनुसार राशि **₹320406/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹6408.12/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	अवधि	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01/04/2023 to 31/03/2024	Yugal Kishore, vpo Taal, Hamirpur	Sand, Aggrigate, stone	320406	320406	6408.12
Total					**320406**	**6408.12**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 294/2024 दिनांक 22/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से ₹**320406**/- की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती **₹6408.12**/- GST,TDS की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के प्रावधान - The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए निम्न विवरणानुसार राशि **₹771/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान (₹)
1	C/cattle shed in tha land of milkhi ram s/o gufal ram vill kakohan	मस्ट्रोल संख्या (3597,3885,4164,4547,4900, 5306,5757) (13398+8526+8526+8120 +6496+4060+8932) =58058 x 2/3 =38705	Sand, aggrigate	39476	38705	771.00
Total						**771.00**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2024 दिनांक 22/08/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹771/-** के भुगतान की वसूली हेतु **(रसीद संख्या –203366**) काट ली गई है तथा उक्त राशि को सरकारी कोष **खाता संख्या-4193000100031015, दिनांक-22.08.2022** द्वारा जमा करवा दिया गया है। उक्त राशि के इन्द्राज को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य की अधिक भुगतान राशि ₹771/- के इन्द्राज की पुष्टि अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

9.2 उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर राशि ₹1.08 लाख भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष से निम्नानुसार आपूर्तिकर्ता ढुलाई, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, कार्य हेतु **निम्न विवरणानुसार ₹108096/-** का भुगतान किया गया था। आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करना जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48,और 61 की स्पष्ट अवहेलना है।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 289/2024 दिनांक 22.08.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया।

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	C/o mahila mandal bhawan in maserdu	Cement	77848.00
2	GIA (Planning)	Office exp. In gram panchayat shanwin	Telephone bill	1198.00
3	GIA (Planning)	Office exp. In gram panchayat shanwin	Electricity bill	800.00
4	GIA (Planning)	C/o community bhawan in maserdu	Carriage of materials	28250.00
Total				**108096.00**

अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 राशि ₹1.83 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 09/2022 व 03/2024 में (**सलंग्न परिशिष्ट "छ") अनुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹182914**/- का भुगतान किया गया था, जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 292/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा"।

नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी|

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

9.4 राशि ₹5.00 लाख के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 288/2024 दिनांक 22/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **सलंग्न परिशिष्ट "ज"** के अनुसार ₹500372 के कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा |

वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वत: आपतिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

9.5 राशि ₹ 0.64 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करने वारे :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No-PCH-HC(10)FFC-MISC-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियंत्रण के Rate Contact अथवा GeM Portal से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 09/2022 व 03/2024 में राशि **₹ 64000/-**की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियंत्रण के Rate Contact अथवा GeM Portal से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएं आमंत्रित करके किया गया था।

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि (₹)
1	15FC	0	09/22	4000 पेवर ब्लाक @ 16/-प्रति पेवर	64000.00

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 290/2024 दिनांक 22/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स का क्रय Gem Portal से नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण निविदाओं को आमंत्रित किया गया था, परन्तु भविष्य में निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स का क्रय पर नियमों का ध्यान रखा जायेगा।

अत: उक्त पत्र में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कृत व्यय को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुसरण करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था। लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव के चलते अंकेक्षण में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	बजट प्राकलन	11	37
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रख-रखाव न करना	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)

11	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 276/2024 दिनांक 19.08.2024 द्वारा पंचायत को अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 02/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को बना लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 275/2024 दिनांक 17.08.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में पत्र संख्या 01/san/2024 दिनांक 24/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुतउतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है, बल्कि अंकेक्षण के दौरान समय-2 पर सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये विभिन्न मामलों का निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का0/प्रति
5512 – 5516 19 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)76/2019 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत साहनवीं विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का0/प्रति

Annaxure 'क' पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत - साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	1712362.09	1439704.00	3152066.09	1343506.14	1808559.95
2	2023-24	1808559.95	672057.00	2480616.95	974645.00	**1505971.95**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	2212005.65	1929513.00	4141518.65	2617151.68	1524366.97
2	2023-24	1524366.97	1479632.00	3003998.97	1893645.27	**1110353.70**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3924367.74	3369217.00	7293584.74	3960657.82	3332926.92
2	2023-24	3332926.92	2151689.00	5484615.92	2868290.27	**2616325.65**

Panchyat Sectary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P)

ग्राम पंचायत- साहनवीं, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1712362.09	1439704.00	3152066.09	1343506.14	1808559.95
2	2023-24	1808559.95	672057.00	2480616.95	974645.00	**1505971.95**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	60000.00	60000.00	60000.00	0.00
2	2023-24	0.00	102432.00	102432.00	102432.00	**0.00**

14वें वित्तायोग(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1148375.65	86479.00	1234854.65	1055733.00	179121.65
2	2023-24	179121.65	47634.00	226755.65	120069.00	**106686.65**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1063630.00	959062.00	2022692.00	677446.68	1345245.32
2	2023-24	1345245.32	249093.00	1594338.32	590671.27	**1003667.05**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	823972.00	823972.00	823972.00	0.00
2	2023-24	0.00	1080473.00	1080473.00	1080473.00	**0.00**

Panchayat Secretary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	0	444	40	17760	17760	0	17760
2023-24	17760	444	40	17760	35520	0	**35520**

Panchyat Sectary
P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H P)

Annaxure 'ग' पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर							
दूकानों के किराया वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)							
Mr. Chattar singh							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2022-23	0	670 x 12	8040	8040	8040	0
2	2023-24	0	670 x 12	8040	8040	8040	0

Mr. Jamba							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2022-23	0	670 x 12	8040	8040	8040	0
2	2023-24	0	670 x 12	8040	8040	8040	0

Panchyat Sectary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H P)

Annaxure 'छः' पैरा संख्या 7.3 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत साहनवीं विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	Subhasho devi w/o Dev Raj	04/05/1980	04/08/2022	203365	400	0	400
Total					**400**	**0**	**400**

Panchyat Sectary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ङ' पैरा संख्या 8.1 में सदर्भित

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

रॉयल्टी की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Voucher No	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	Mnrega	C/o R/wall near house of tilak Raj s/o Anant Ram vill. Sahnwin.	257	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	3.425	1.62	5.5485	80	443.88
						aggrigate	3.425	1.52	5.206	80	416.48
2	Mnrega	[illegible] sharma w/o Arun Kumar vill. Sahnwin.	260	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	4.02	1.62	6.5124	80	520.992
						aggrigate	4.02	1.52	6.1104	80	488.832
3	Mnrega	chand s/o Amar singh vill. Bumana.	263	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	4.02	1.62	6.5124	80	520.992
						aggrigate	4.02	1.52	6.1104	80	488.832
4	Mnrega	C/o R/wall near house of Kashmiri Lal s/o chint Ram vill. Sahnwin.	258	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	4.02	1.62	6.5124	80	520.992
						aggrigate	4.02	1.52	6.1104	80	488.832
5	Mnrega	C/o R/wall near house of Karam chand vill. Bumana.	261	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	4.246	1.62	6.87852	80	550.2816
						aggrigate	4.246	1.52	6.45392	80	516.3136
6	Mnrega	C/o R/wall near house of santosh Kumari w/o Desh Raj vill. Maserdu.	256	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	4.077	1.62	6.60474	80	528.3792
						aggrigate	4.077	1.52	6.19704	80	495.7632
7	Mnrega	C/o R/wall near house of Ramesh sharma vill. Maserdu.	255	Feb-24	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	sand	3.963	1.62	6.42006	80	513.6048
						aggrigate	3.963	1.52	6.02376	80	481.9008
										योग	6976.0752

Panchyat Sectary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

27

Annaxure च पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01/04/2023 to 31/03/2024	Yugal Kishore, vpo Taal, hamirpur	Sand, Aggrigate, stone	320406	320406	6408.12
Total					320406	**6408.12**

Panchayat Sachiv
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H P)

28

Annaxure 'ढ' पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o community bhawan in maserdu	37	-		carriage	28250.00
2	GIA (Planning)	c/o community bhawan in maserdu	40,41	Dec-23	vishal trading co. vpo taal, hamirpur	iron	154664.00
Total							**182914.00**

Panchayat Sectary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.)

29

Annaxure जे **पैरा संख्या** ९.५ **में संदर्भित**

ग्राम पंचायत साहनवीं, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o Mahila Mandal bhawan Maserdu	77848
2	GIA (Planning)	c/o community bhawan Maserdu	211326
3	14FC	c/o path main road to varindar's house	33341
4	15FC	c/o drain vill sahanwin	10625
5	15FC	c/o drain vill kapoti	21250
6	15FC	c/o path road handpump to bhota road	21250
7	15FC	c/o road sudesh house toward shiv mandir	33350
8	15FC	c/o link road rajmal house towards kamaljeet house sahanwin	27382
9	15FC	c/o path shiv mandir sahanwin towards sudesh kumar house	64000
Total			**500372**

Panchyat Sectary
G.P. Sahanwin, Dev. Block
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H P)

30